



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-206/2024

श्री नैन सिंह नेगी पुत्र श्री मोहन सिंह नेगी ,
ग्राम- कुंजा गुठ, पो-0- मित्तोला,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिकासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर0 11325415822 के सापेक्ष माह सितंबर 2023 में उनका बिल 202 रु0 आया था। इसके बाद उन्हें अगस्त 2024 में 48680 रु0 का बिल प्राप्त हुआ है जो बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि उनके परिसर में अक्टूबर 2024 में चैक मीटर लगाया गया था जिसमें कोई खास अंतर नहीं पाया गया था।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 706 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिकासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.12.2024 में वादी की तरफ से उनके पुत्र श्री कुन्दन सिंह नेगी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान (ए0ई0आर0) उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी का प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है। पूर्व में उपभोक्ता को प्रत्येक 2 माह का 24-26-24 यूनिट्स का बिल दिया गया जो की न्याय संगत नहीं है। उपभोक्ता ने बताया की उनके वहा कभी भी मीटर रीडर बिल देने नहीं आया। विभाग की ओर से कहा गया की यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसे तत्कालीन विद्युत टैरिफ का लाभ देते हुए उनके बिल में संशोधन कर दिया जाएगा। अगली सुनवाई की तिथि 26.12.2024 को नियत की गई थी।

26/12/24

26/12/24

26/12/24

क्रा.सं. ८८२०६/२०२४

3. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 26.12.2024 में वादी की तरफ से श्री कुन्दन सिंह नेगी पुत्र श्री नैन सिंह (वादी) तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान उपस्थित हुए। उन्होंने बताया की वादी का प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित होने के कारण, डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देकर, वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है तथा संशोधित बिल 53638रु0 से संशोधित होकर कुल 36600रु0 मात्र का बना है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। वादी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वह एक मुश्किल 36600रु0 जमा कर पाए। उन्होंने उपरोक्त बिल को 3 समान किस्तों में करेन्ट विल के साथ जमा करने के लिए अनुरोध किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है।

आदेश

विभाग द्वारा डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है तथा संशोधित बिल 53638रु0 से संशोधित होकर कुल 36600रु0 मात्र का बना है जिस पर वादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के अनुरोध पर, वादी को संशोधित बिल 36600 रु0 को समान 3 किस्तों में करेन्ट बिल के साथ भुक्तान करने की सुविधा प्रदान की जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 26.12.2024

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्थाल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, उपभोक्ता सदस्य

परिवाद संख्या – 71/2024-25

श्री लाल चन्द,
ग्राम पन्लोट, पो0 एचौली
जिला पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़
जिला पिथौरागढ़

विपक्षी

निर्णय

- 1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर में सुबह के समय 9 बजे तक वोल्टेज बिल्कुल कम रहता है, और 9 बजे से सांय 5 बजे तक वोल्टेज इतनी High हो जाती है कि उनके टीवी0 व फ्रिज जल गए हैं। उन्होंने वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 151 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
- 2 मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 28.12.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित सुश्री दीक्षा पाण्डे, उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में 100 KVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसकी फेस बैलैसिंग एवं अर्थिंग ठीक करने के बाद वादी की लो वोल्टेज व हाई वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उनकी वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो गया है।

[Signature]

[Signature]
28/12/24

[Signature]

आदेश

वाद नं० 7/22425

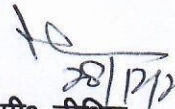
विभाग द्वारा क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर की फेस बैलैसिंग एवं अर्थिंग ठीक कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप वादी के परिसर में वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो गया है, जिस पर वादी ने अपने पत्र दिनांक 17.12.2024 के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी है।

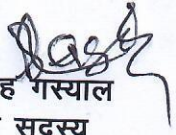
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 28.12.2024


भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य


ओ०पी० दीक्षित
तकनीकी सदस्य


चामू सिंह गस्याल
न्यायिक सदस्य